फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
अभिलेख उपस्थापित। श्री कैलाश राम पिता स्व0 रामचरण राम, ग्राम–कुद, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग से प्राप्त आवेदन–पत्र एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उक्त अनुसार आवेदक के नाम से प्रश्नगत् भूमि अंचल–कटकमदाग, ग्राम–कूद–II, थाना संख्या–123, खाता संख्या–140, प्लॉट संख्या–907, रकबा–0.0550 एकड़ भूमि का कोई जमाबंदी कायम नहीं है। आवेदन अनुसार उक्त भूमि का मॉग उनके दादा डोमन दुसाध के नाम से चल रहा है, किन्तु उनके द्वारा पारिवारिक संपत्ति के बँटवारा विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि किस हिस्सेदार को कितनी भूमि का हक प्राप्त है एवं पूर्व में उनके द्वारा कितनी भूमि का निबंधन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर अन्य हिस्सेदारों का सहमति पत्र भी प्राप्त नहीं है। साथ ही समर्पित वंशावली किसी सरकारी कर्मी / पदाधिकारी से सत्यापित नहीं है। विभागीय पत्रांक 2300 दिनांक 25.06.2019 द्वारा पैतृक / पारिवारिक सम्पति के बँटवारा विलेख के निबंधन पर क्रमशः निबंधन शुल्क 50/- रूपये एवं मुद्रांक शुल्क 50/- रूपये निर्धारित एवं अत्यंत कम करते हुए राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं खतियान रैयत के उत्तराधिकारियों को विधिवत् स्वामित्व प्रदान करने पर जोर दिया गया है। अतः उक्त आलोक में आदेश पारित किया जाता है कि आवेदक निबंधित बँटवारानामा / उत्तराधिकारी नामान्तरण के साथ आवेदन–पत्र दाखिल करेंगे। तद्नुसार अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 20/4/14 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RANJEET KUMAR LAL
Date: 2021.07.30 17:21:50 +05:30
Location: 192.168.0.102